राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

राजस्व लेखा मैन्युअल, सन् 1972

राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर।

Board of Revenue for Rajasthan
LIBRARY
No.

राजस्थान राजस्व लेखा मैन्युअल

1972

प्राक्कथन

राजस्थान प्रदेश के गठन से पूर्व, विलीनीकृत राज्यों में भू-अभिलेख व तत्सम्बन्धी राजस्व लेखा रखने की भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रचलित थीं सर्वप्रथम तहसील स्तर पर राजस्व लेखा में एकरूपता लाने हेतु प्रारम्भिक प्रयास राजस्व मण्डल द्वारा संख्या 8501-05 बी० आर०, दिनांक 23-11-55 प्रसारित निदेशों द्वारा किया गया, जिनके अन्तर्गत प्रपत्र संख्या 'क', 'ख' 'ग' व 'घ' निर्धारित किये गये जो अब तक प्रचलित हैं ।

जिला स्तर पर लेखा संकलन एवं संधारण की पद्धति सम्बन्धी संक्षिप्त प्रावधान जिला नियमावली के अध्याय 6 में निर्धारित किये गये । इसके उपरान्त राज्य विधान मण्डल द्वारा भू-राजस्व एवं काश्तकारी सम्बन्धी कतिपय अधिनियम एवं उनके संशोधन पारित किये गये । इन्हीं अधिनियमों के अन्तर्गत कई नियम व निर्देश भी राज्य सरकार व राजस्व मण्डल द्वारा प्रसारित किये गये । अन्य कुछ राजकीय विभागों ने भी राजस्व आय के सम्बन्ध में इसी प्रकार के अधिनियम-नियम व निर्देश समय समय पर प्रसारित किये किन्तु इसके साथ ही तत्सम्बन्धी मांग, संग्रह एवं अवशेषों का लेखा रखने का कार्य राजस्व विभाग को ही सौंपा गया ।

परिवर्तित परिस्थितियों में वांछित राजस्व लेखा प्रारम्भिक रूप में निम्नांकित व्यवस्थाओं के अधीन रखा जाना सम्भव न होने के कारण समय समय पर सह पंजिकाएं रखे जाने की भी व्यवस्था की गई । फिर भी अभीष्ठ व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यवस्थित लेखा तैयार करने में निरन्तर कठिनाइयां व बाधाएं अनुभव की गईं । जिनका विस्तृत राजस्व लेखा नियमावली के अभाव में सम्भव न हो सका ।

इन समस्त कठिनाइयों के समुचित निदान व निवारण हेतु अब तक की अनुभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टिकोण से कि राज्य सरकार का राजस्व आय का लेखा पूर्ण व्यवस्थित ढंग से रखा जा सके व यह कार्य निर्बाध गति से सरलतापूर्वक राजस्व लेखा अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना शक्ति व समय का अनावश्यक अपव्यय किये, व्यवस्थित किया जा सके, राजस्व मण्डल द्वारा इस "राजस्व लेखा मैन्युअल" का प्रारूप तैयार किया गया है ।

श्री गो० व० हूजा निवर्तमान अध्यक्ष महोदय द्वारा इस मैन्युअल के तैयार करने की प्रेरणा और उनके आदेश दिनांक 10-6-71 के अन्तर्गत श्री निर्मल मुकर्जी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों सर्वश्री प्रतापसिंह, निरीक्षक, राजस्व लेखा मुख्यालय गंगानगर, सूरजमल विजय, निरीक्षक, राजस्व लेखा मुख्यालय, कोटा, हरि कृष्ण, निरीक्षक, राजस्व लेखा, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर व सूरजभान मल्हान, निरीक्षक, राजस्व लेखा मुख्यालय, बीकानेर द्वारा अपने अपने अनुभवों के आधार पर तथा यत्र तत्र उपलब्ध नियमों, निर्देशों, आदेशों तथा परिपत्रों को संकलित कर कठिन परिश्रम से इस मैन्युअल का प्रारूप हिन्दी में तैयार किया गया है जिससे इसे पढ़ने व समझने में सम्बन्धित श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को कठिनाई न हो ।

इस मैन्युअल में राजस्व आय प्राप्तियों तथा अन्य संग्रहों जिनका नियन्त्रण व निरीक्षण अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल द्वारा सम्पादित होता है अथवा जिनकी वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से होती है, से सम्बन्धित लेखा रखने की विधि, उसके एकीकरण तथा निरीक्षण हेतु प्रावधान निहित है । राजस्व लेखा वर्ष भी इस मैन्युअल में वित्त वर्ष के आधार पर ही नियत किया गया है क्योंकि राज्यस्तर पर समस्त लेखा वित्तीय वर्ष के आधार पर रखा जाता है और निम्नस्तर पर कृषि वर्ष के आधार पर लेखा रखने में न केवल समय ही नष्ट होता है वरन् दुहरी प्रक्रिया अपनाने से श्रम तथा कार्य शक्ति का अपव्यय भी होता है ।

संलग्न परिशिष्टों के संकलन, सामग्री उपलब्ध कराने व टंकण आदि में श्री आत्मा सहायरामजी, लेखा लिपिक, राजस्व मण्डल तथा श्री जम्मू आसवानी, टंकक व अन्य कर्मचारियों ने भी अपना पूर्णसहयोग सराहनीय योगदान दिया है ।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल, राजस्थान
अजमेर ।